

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान  
Central Sericultural Research and Training Institute  
केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार  
Central Silk Board, Ministry of Textiles, Govt. of India  
श्रीरामपुरा, मानंदवाडी रोड, मैसूर/Srirampura, Manandavadi Road, Mysore-570008.

प्रपत्र/FORM-2

(अनुच्छेद/Para-25)

शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति/REIMBURSEMENT OF TUITION FEE

1) प्रमाणित करता/करती हूँ कि निम्नलिखित बच्चा/बच्चों जिनके संबंध में शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, वह/वे पूर्णतया मुझ पर आश्रित है/हैं।

Certified that the child/children mentioned below in respect of whom reimbursement of Tuition Fee is claimed is/are wholly dependent upon me.

बच्चे/बच्चों का नाम Name of the Child/Children	जन्म तिथि Date of Birth	पाठशाला का नाम जहाँ पढ़ा है School in which studied	कक्षा जिसमें पढ़ा है Class in which studied	वस्तुतः भुगतान किया मासिक शिक्षा शुल्क Monthly Tuition Fee actually paid	वस्तुतः अदा किया शिक्षा शुल्क Tuition Fee actually paid	दावा की गई प्रतिपूर्ति राशि Amount of Reimbursement claimed रु./Rs.
1	2	3	4	5	6	7

प्रमाणित करता/करती हूँ कि बच्चे/हर बच्चों के नाम के सामने उल्लिखित शिक्षा शुल्क का मैंने वस्तुतः भुगतान किया है (आरंभिक दावे के साथ नकद रसीद/बैंक जमा वाउचर का प्रतिपुर्ण संलग्न किया जाए)।

Certified that the Tuition Fees indicated against the Child/each of the Children had actually been paid by me (cash receipt/counterfoil of the Bank Credit vouchers to be attached with the initial claim).

प्रमाणित करता/करती हूँ कि/Certified that :

मेरी पत्नी/मेरे पति केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं/नहीं हैं।

(i) My wife/husband is/is not a Central Government Servant.

मेरी पत्नी/मेरे पति केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन वह हमारे बच्चे/बच्चों के संबंध में शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं करेंगी/करेंगे ।

My wife/husband is a Central Government servant but she/he will not claim reimbursement of tuition fee in respect of our Child/Children.

(iii) मेरी पत्नी/मेरे पति \* . . . . .

में नियोजित हैं और वह हमारे बच्चे/बच्चों के संबंध में शिक्षा-शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार हैं/नहीं हैं ।

My wife/husband is employed with\* . . . . . she/he is/is not entitled to reimbursement of tuition fees in respect of our child/children.

प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस दावे की व्याक्ति की अवधि के दौरान बच्चे/बच्चों नियमित रूप से पाठशाला (ओं) में उपस्थित हुए और बिना उचित छुट्टी के वह/वे एक महीने से अधिक समय तक अनुपस्थित नहीं रहा/रहे ।

Certified that during the period covered by this claim, the child/children attended the school (s) regularly and did not absent himself/herself/ themselves from the school (s) without proper leave for a period exceeding one month.

प्रमाणित करता/करती हूँ कि उल्लिखित बच्चे/बच्चों एक ही कक्षा में दो वर्ष से अधिक नहीं पढ़ रहे हैं ।

Certified that the child/children mentioned has/have not been studying in the same class for more than two years.

प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने या मेरी पत्नी/मेरे पति ने उपर्युक्त बच्चों के संबंध में संतान शैक्षणिक भत्ते का दावा नहीं किया है और नहीं करूंगा/करूंगी ।

Certified that I or my wife/husband have/has not claimed and will not claim the childrens educational allowance in respect of the children mentioned above.

\* केंद्रीय सरकार से भिन्न नियोक्ता को उल्लिखित किया जाए ।

Employer other than Central Government to be mentioned.

प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरा बच्चे/बच्चों जिनके संबंध में शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा किया है वह/वे मान्यता प्राप्त पाठशाला (ओं) में पढ़ रहा है/रहे हैं । (केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/नगर समिति/पंचायत समिति/जिला परिषद से चलाई जाने वाली पाठशाला (ओं) के लिए लागू नहीं है ।)

Certified that my child/children in respect of whom reimbursement of tuition fee is claimed is/are studying in the school (s) which is/are recognized school (s) (Not applicable to schools run by Central Government/State Government/Union Territory Administration/ Municipal Corporation/Municipal Committee /Panchayat Samiti/Zilla Parishad).

उपर्युक्त विवरण में कोई परिवर्तन होने पर जिससे शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए मेरी पात्रता पर असर पड़ सकता है, मैं तुरंत सूचित करने और अधिक राशि का भुगतान किया गया हो तो लौटाने का वचन देता/देती हूँ ।

In the event of any change in the particulars above which effect my eligibility for Reimbursement of Tuition Fees, I undertake to intimate the same promptly and also to refund excess payments, if any, made.

सरकारी पदाधिकारी के हस्ताक्षर : . . . . .  
Signature of the Govt. Servant  
नाम स्पष्ट अक्षरों में : . . . . .  
Name in Block Letters  
पदनाम/Designation : . . . . .  
कर्मचारी सं./Employee No. : . . . . .  
अनुभाग का नाम व अनुभाग कूट सं. : . . . . .  
Name of the Section and Section . . . . .

Code No.

कार्यालय का नाम यहाँ कार्यरत हैं : कें.रे.अ.प्र.सं. मैसूर  
Office in which working CSRTI, Mysore

दिनांक/Date : . . . . .

सूचना/Note : जो लागू नहीं है उसे काट दिया जाए ।  
Strike out which is not applicable.